


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज मंगलाराम बेनीवाल बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) सू.अ.अपील संख्या 14/2022</p>	<p>न. व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>21.02.22</p>	<p>अपीलार्थी मंगलाराम बेनीवाल, निवासी ग्राम पोस्ट बेनीवालों की ढाणी, कुडछी, तहसील खींवसर, नागौर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.11.2021 में उसके द्वारा (1) उपखण्ड अधिकारी, कृषि भूमि रूपान्तरण अधिकारी, जोधपुर द्वारा माह दिसम्बर 1989 में जारी प्रत्येक पट्टे का विवरण जिसमें पट्टा क्रमांक, पट्टा जारी करने की दिनांक, प्रार्थी का नाम, जिसे पट्टा जारी किया गया व उस स्थान का नाम जहां का पट्टा जारी किया गया जिसमें ग्राम, खसरा न. व प्लॉट न. हो (2) अन्य बिन्दू से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेसपो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति  को सचनार्थ सं. मालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	